राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2368/2012/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत डी, जोधपुर।

....अपीलार्थी

बनाम

मै. के.एस.ऑयल मिल्स लि.,
पावटा बी रोड, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास–अध्यक्ष
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री पी.एम.चौपड़ा
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 13/सीएसटी/जेयूबी/12–13 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत–अ, जोधपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2007–08 हेतु पारित आदेश दिनांक 26.03.2010 अन्तर्गत धारा 9 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **"अधिनियम 1956"** कहा जायेगा) एवं धारा 23, 24 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) के तहत कायम की गई मांग में से कर राशि रू 41,16,462/– को विवादित करने पर अपील स्वीकार की जाकर कर अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी के कर निर्धारण अवधि 2007–08 हेतु पारित आदेश दिनांक 26.03.2010 द्वारा कुल 1,88,97,498/– रू की मांग कायम की गई। इस में से सी फार्म निरस्त से संबंधित विक्रय राशि 17,78,78,086/– रू पर कर राशि 35,57,562/– रू एवं एफ फार्म निरस्त से संबंधित विक्रय राशि रू 1,39,72,500/– पर कर राशि 5,58,900/– रू कुल कर राशि रू 41,16,462/– आरोपित किया गया।

लगातार............2

3. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष कर राशि रू 41,16,462/– आरोपित करने के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई जिसमे अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 20.06.2012 द्वारा अपील इस आधार पर स्वीकार की है कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी को घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया व विभाग द्वारा जांच के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये। अपीलीय अधिकारी ने आरोपित कर अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरूद्व विभाग द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों का पूर्ण रूप से परीक्षण नहीं किया है तथा अन्तर्राज्जीय बिक्री सिद्व करने का दायित्व व्यवसायी का हैं।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों का न तो पूर्ण रूप से परीक्षण किया है व न ही इस विधिक बिन्दू पर ध्यान दिया है कि अन्तर्राज्जीय बिक्री सिद्व करने का दायित्व व्यवसायी का हैं। अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है, अतः अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश यथावत रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक व्यवसायी प्रत्यर्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा कथन किया गया कि व्यवसायी को घोषणा पत्र निरस्त करने के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया है व न ही इस संबंध में कोई जांच की गई है। यदि क्रेता डीलर द्वारा अपने लेखों में तय किये गये माल का अंकन नहीं किया जाता है या विधिवत जारी सी फार्म निरस्त किये गये है तो इस आधार पर विक्रेता व्यवसायी पर कर आरोपित नहीं किया जा सकता। अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे। इन्होंने अपने समर्थन में Amrit Food Vs. Commissioner of Central Excise, reported at [(2005) 190 ELT 433 (SC)], Mahaveer Conductors Vs. Asstt. Commercial Taxes Officer, reported at [(1997) 104 STC 65, 70], Sri Durga Cement Co. Ltd., Vs. State of Bihar and others, reported at [(1999) 114 STC 268], Samagya Consultants Pvt. Ltd. Vs. Commissioner of Sales Tax, reported at [(2001) 122 STC 512], Ram Swarup Vs. Shikhar Chand, reported at [AIR 1996 SC 893], 78 STC 283 M/s Brajlal Banik V/s State of Tripura, Narayana chetty Vs. Income Tax Officer reported at [(1956) 35 ITR 388, Brahm Dutt Vs. Sales Tax Officer reported at 1958 TR 61], Steel Authority of India Ltd. Vs. STO Rourkela reported at [(2008) 22 Tax update 8], Vasant D. Bhasar Vs. Bar Council of India reported at [(1999) 1 SCC 45], Goyal Enterprises Vs. State of Jharkhand reported at [AIR 2008 SC 150], 21 TUD 60 (SC) Mauri Yeast India Pvt. Ltd. Vs. State of U.P. and Anr. के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

लगातार............3

8. विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने सी व एफ फार्म निरस्ती के आधार पर कर आरोपित किया है। अपीलीय अधिकारी ने अपील इस आधार पर स्वीकार की है कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी को घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया व विभाग द्वारा जांच के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये।

9. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित तीन पत्रावलियों में से एक पत्रावली के पृष्ठ सं. 10 से 26 पर दिल्ली की फर्मो की टैक्स इन्फोरमेशन सिस्टम से डीलर्स की डीटेल प्राप्त की गई है जिसमें कुछ डीलर्स के संबंध में निरस्त की सूचना है। पृष्ठ सं. 67 से 93 पर ट्रेड एण्ड टैक्स डिपार्टमेन्ट नई दिल्ली द्वारा किये गये पत्र व्यवहार है। अपीलीय अधिकारी ने टैक्स डिपार्टमेन्ट नई दिल्ली से किये गये पत्र व्यवहार या दिल्ली की फर्मो की टैक्स इन्फोरमेशन सिस्टम से प्राप्त डीलर्स की डीटेल पर न तो कोई विचार किया है न ही कोई विश्लेषण अपीलाधीन निर्णय में है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया है जिससे निर्णय विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। विद्वान अभिभाषक व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Sri Durga Cement Co. Ltd., Vs. State of Bihar and others, reported at [(1999) 114 STC 268], Samagya Consultants Pvt. Ltd. Vs. Commissioner of Sales Tax, reported at [(2001) 122 STC 512], Ram Swarup Vs. Shikhar Chand, reported at [AIR 1996 SC 893] में यह ठहराया गया है कि व्यवसायी को विस्तृत नोटिस दिया जाना आवश्यक है व न्यायिक दृष्टांत Steel Authority of India Ltd. Vs. STO Rourkela reported at [(2008) 22 Tax update 8], Vasant D. Bhasar Vs. Bar Council of India reported at [(1999) 1 SCC 45], Goyal Enterprises Vs. State of Jharkhand reported at [AIR 2008 SC 150], में यह ठहराया गया है कि निर्णय विवेचना, विश्लेषण एवं कारणों सहित पारित किया जाना चाहिए। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा न तो सी फार्म एंव एफ फार्म निरस्ती के संबंध में विस्तृत नोटिस जारी किया है व न ही निर्णय में उन कारणों का उल्लेख है जिनके आधार पर व्यवसायी द्वारा किये गये संव्यवहार उचित नहीं माने है जिससे उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में विधिसम्मत करारोपण नहीं माना जा सकता। इस निष्कर्ष के आधार पर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित योग्य है कि वे व्यवसायी को सी फार्म एवं एफ फार्म निरस्ती या इनसे सम्बन्धित अनियमितताओं के संबंध में विस्तृत नोटिस जारी करते हुये व्यवसायी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विस्तृत विवेचना एवं विश्लेषण सहित नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पुनः पारित करें।

10. फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार करते हुये अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश सी फार्म एवं एफ फार्म से निरस्ती से संबंधित टर्न ओवर पर आरोपित कर की सीमा तक निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे व्यवसायी को सी फार्म एवं एफ फार्म निरस्ती या इनसे सम्बन्धित अनियमितताओं के संबंध में विस्तृत नोटिस जारी करते हुये व्यवसायी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्त बिन्दू के संबंध में विस्तृत विवेचना एवं विश्लेषण सहित नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पुनः पारित करें। कर निर्धारण अधिकारी का शेष आदेश यथावत रहेगा।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष